

प्रेषक,

राष्ट्रिय,
प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश सरकार।

संसाधन,

अध्यक्ष/सचिव

e.McJ d8j8t v8l1 Qel l xde dluoyuh l j xua e.McJ rg0 o ftyMctuaJ
l B k W8VlV & gde b'd , telkry . M cy0s j p8jVcy VLV elgfyt dtku e.McJ
lctuaJ

पत्रांक-प्राथमिक/परिषद/2022/5845

जन्मदिनांक- 14-7-2022

विषय- सत्र 2022-23 हेतु संस्थान को अनापत्ति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक फार्मशी प्राप्तितल ऑफ इण्डिया (पी0सी0आई0) के पत्रांक 14-56/2022 (Approval Process for 2022-23 as)/11621-23 दिनांक 21-6-2022 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 31-5-2022 को संदर्भित करने का कष्ट करें, जिसके अनुक्रम में सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा इन फार्मशी कायमकम संचालित किये जाने हेतु आप द्वारा सहमति/अनापत्ति निर्गत किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

सूचना है कि प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करता है, एवं इस हेतु अधिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पी0सी0आई0, नई दिल्ली से प्रस्तावित संस्थान एवं कायमकम के अनुमोदनोपरांत ही संस्थान की सम्बद्धता पर विचार करता है।

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 31-5-2022 एवं पी0सी0आई0, नई दिल्ली के पत्रा संसा 14-56/2022 (Approval Process for 2022-23 as)/11621-23 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में राज्य स्तरीय समिति द्वारा दी गयी संरूपति के अन्तर्गत पर संस्था को सहमति/अनापत्ति पत्र मा0 उच्चतम न्यायालय में पेशित एच0एल0पी0 नं0 408/2022 में परित अतिम निर्णय के प्रतिबन्ध को साथ प्रदान की जा रही है कि संस्था द्वारा सत्र 2022-23 हेतु फार्मशी कायमकम ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमोदन पत्र, सत्र 2022-23 हेतु परिषद द्वारा मादुल सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार की बैठक से पूर्व प्राप्त काल्पना जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त अवधि तक यदि संस्था द्वारा अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय में प्राप्त नहीं कराया गया तो ऐसी स्थिति में संस्था को सत्र 2022-23 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार निर्गत सहमति पत्र प्रतीकालक है, और उपरोक्तानुसार निर्मित शर्तों को पूर्ण किये जाने पर ही कार्य होगा। साथ ही संस्था पत्र में दी गई जानकारी तथा पी0सी0आई0 एवं परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों के अनुसार संस्था का स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखीय साक्षात्पन एक माह के अंदर सुनिश्चित किया जायेगा। अभिलेखों को साक्षात्पन की पुष्टि न होने तथा स्वनीय निरीक्षण में मानकों/शर्तों को पूर्ण न किये जाने पर अनापत्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाएगी।

भवदीय,

(सुनील कुमार सोनकर)
सचिव

पुठसं0- प्राथमिक/परिषद/2022/5846-47

तद्दिनांक- 14-7-2022

प्रतिनिधि- निम्नांकित को सूचना एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
2. रजिस्ट्रार-कम-सेक्रेटरी, फार्मशी कायमकम ऑफ इण्डिया, कान्यादुष्य कायमकम डिप्टी, टैंगल रोड, कोटला रोड, एचएम-ए-गाविस मार्ग, नई दिल्ली- 110 002

(सुनील कुमार सोनकर)
सचिव